होटल ''ताज आमेर'' पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में जे.डी.ए. और वन विभाग?

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। जयपुर-दिल्ली बाइपास पर चिमनपुरा गांव में बने होटल ''ताज आमेर'' की बिल्डिंग पर जल्द ही बुलडोजर चलाने की तैयारी है। होटल के खिलाफ वन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

- **बताया जा रहा है कि 22 फरवरी 2024 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 78वीं बैठक में जयपुर-दिल्ली बाइपास पर बने कान्हा होटल एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड (होटल ताज आमेर) को इको सेंसेटिव जोन में मानते हुए बिल्डिंग निर्माण को ध्वस्त करने का फैसला लिया गया था**
- **वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, स्थायी समिति की ओर से होटल के निर्माण को मंजूरी न देने का निर्णय लेने के बाद इको सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी ने जेडीए से (होटल) बिल्डिंग के निर्माण को हटाने के लिए कहा है। जिस पर आगामी कार्रवाई जेडीए की ओर से की जानी है।**

सूत्रों की माने तो गत 22 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 78वीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जयपुर-दिल्ली बाइपास पर इको सेंसेटिव जोन में बने कान्हा होटल एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड (होटल ताज आमेर) को इको सेंसेटिव जोन में माना गया। बैठक में बिल्डिंग निर्माण को ध्वस्त कर हटाने का फैसला किया गया है। इसके बाद 18 जून को इको सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय की पालना को लेकर जेडीए को कार्रवाई के लिए कहा गया।

सूत्रों के मुताबिक वन विभाग ने ही पहले आमेर तहसील के चिमनपुरा गांव के खसरा संख्या 54, 55 और 56 में 0.0845 हैक्टेयर क्षेत्र में कान्हा होटल्स एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। इसमें लग्जरी होटल ग्रुप ताज समूह को लीज पर दिया गया था, यह नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 95 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अब इसे हटाने की तैयारी शुरू की जा रही है।

बता दें कि होटल की बिल्डिंग का निर्माण कुछ साल पहले हुआ था। इसकी शुरुआत साल 2023 में शुरू हुआ। इसके बाद इको सेंसेटिव जोन में निर्माण के खिलाफ शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने बैठक आयोजित की थी।

सूत्रों का कहना है कि, इको सेंसेटिव जोन क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के अंदर कोई भी नया वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यहां सिर्फ इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए छोटे अस्थायी ढांचों का निर्माण हो सकता है। ऐसे में वन इको सेंसेटिव जोन में बनी ताज आमेर होटल पूरी तरीके से अवैध मानी जा रही है। होटल का निर्माण पहले एनबीडब्ल्यूएल से वन्यजीव मंजूरी हासिल किए बिना ईएसजेड के भीतर किया हुआ बताया जा रहा है।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, स्थायी समिति की ओर से होटल के निर्माण को मंजूरी न देने का निर्णय लेने के बाद इको सेंसेटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी ने जेडीए से (होटल) बिल्डिंग के निर्माण को हटाने के लिए कहा है। जिस पर आगामी कार्रवाई जेडीए की ओर से की जाएगी।

वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर होटल प्रशासन द्वारा किसी तरह के निर्णय के बारे में कोई सूचना नहीं मिलने की बात कही जा रही है।

सचिवालय कर्मी टीम भावना से काम करें : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सचिवालय राजस्थान की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का मुख्य केन्द्र है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में यहां के अधिकारी-कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। अधिकारी-कर्मचारी प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

शर्मा गुरूवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और पद की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी की ओर से कर्मचारियों की जो मांगें रखी गई हैं उस पर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेगी। इससे पूर्व शर्मा ने सचिवालय परिसर में राष्ट्रिपता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कार्य करने वालों के लिए यह गौरव की बात होनी चाहिए कि वह सचिवालय का अहम हिस्सा है। हमारी सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान सचिवालय सेवा की विभागीय पदोन्निति समिति की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित कर 92 अधिकारियों को पदोन्नित दी गई।

शर्मा ने कहा कि सचिवालय में आधारभूत ढांचों के विकास कार्यों से अधिकारी व कर्मचारी स्वच्छ एवं सुगम कार्यस्थल पर काम कर पाएंगे। इसी क्रम में यहां बहुमंजिला मुख्य सचिव ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के निर्माण के लिए 275 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। 70 करोड़ की लागत से नॉर्थ ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। सचिवालय परिसर स्थित मुख्य भवन, खाद्य भवन और उत्तरी-पश्चिमी भवन को पूरी तरह वातानुकूलित बनाया जाएगा। इन भवनों में वीआरवी संयंत्र स्थापित करने के लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए योगदान देने का एक अवसर है। यह वह जिम्मेदारी है, जिसके निर्वहन से आप हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एवं अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।शर्मा ने कहा कि राज्य कार्य में तेजी लाने के लिए शासन सचिवालय के सभी विभाग ई-फाइलिंग के जरिये पेपरलेस वर्क की दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण से नवाचारों को अपनाना चाहिए। जिससे कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि होगी।

श्रीमहावीरजी में पैनोरमा बनाये जाने की घोषणा का आभार जताया

दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की प्रबंधकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों ने श्री महावीर जी में पैनोरमा बनाये जाने की घोषणा का आभार जताने गुरुवार को शासन सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। शिष्ट मंडल में प्रबंधकारिणी कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

जयपुर, (का.सं.)। दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की प्रबंधकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा श्री महावीर जी में पैनोरमा बनाये जाने की घोषणा के क्रम में आभार जताने एवं पैनोरमा की रुपरेखा की विस्तृत जानकारी देने के लिए गुरुवार को शासन सचिवालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। इस मौके पर कमेटी के शिष्ट मंडल ने गुलदस्ता भेट कर राज्य सरकार, पर्यटन विभाग एवं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया।

उप मुख्यमंत्री ने श्री महावीर जी ट्रस्ट द्वारा पर्यटन विभाग को पेनोरमा बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के निर्णय को स्वागत योग्य बताते हुए कमेटी पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के लिए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने शीघ्र ही बजट में इसकी घोषणा करने का आश्वासन दिया। शिष्ट मंडल में प्रबंधकारिणी कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल, कोषाध्यक्ष विवेक काला, सदस्य सुधीर कासलीवाल, प्रशासनिक समन्वयक भारत भूषण जैन, आर्किटेक्ट आयूष कासलीवाल और तुषार सोगानी शामिल थे।

जयपुर में मानसून की दस्तक

- **जयपुर में सुबह घंटो तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा**

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर में गुरुवार को मानसून पहुंचा। इससे अब बारिश की गतिविधियों में तेजी आ जाएगी। जयपुर में सुबह कई घंटों तक रिमझिम बारिश हुई। इसके बाद सूरज की बादलों के बीच से आंख मिचौली देखने को मिली। बारिश के चलते जयपुर के दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर के दिन के तापमान में करीब 3 ओर रात के तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर में मानसून ने दस्तक दे दी है। आगामी दिनों में जयपुर में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी। 29 जून से 2 जुलाई के दौरान जयपुर में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

राजस्थान में सक्रिय मानसून ने तीन दिन में 15 से अधिक जिलों को कवर कर लिया है। इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को प्रदेश के डेढ़ दर्जन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। 29 जून से 2 जुलाई के दौरान जयपुर-भरतपुर संभाग में भारी से अतिभारी बारिश होने के आसार हैं। बीते 24 घंटे में भरतपुर, अजमेर, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। जयपुर संभाग में अलग-अलग जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई।

सी.एच.सी. जोबनेर में दी सोनोग्राफी मशीन

जयपुर। कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सीएचसी जोबनेर, झोटवाड़ा में सोनोग्राफी मशीन की सौगात दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीके शीर्ष मार्गदर्शन में झोटवाड़ा के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा लगातार सुदृढ़ हो रही है। अब जोबनेर के राजकीय चिकित्सालय में मरीजों की जांच के लिए सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की इस सौगात का जनता ने आभार जताया।

गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

गंगाराम मूलचंदानी

अशोक गुप्ता

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सेवानिवृत न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी अशोक गुप्ता को सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

राज्यपाल ने राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, (मानवाधिकार संरक्षण, (संशोधन) अधिनियम 2019 अधिनियम संरक्षण 19, 2019 द्वारा संशोधित) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों को पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो के लिए यह नियुक्ति की है।

मिश्र से दिया कुमारी की शिष्टाचार भेंट

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में गुरुवार को प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

दिया कुमारी से नीदरलेंड की राजदूत की भेंट

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से भारत में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा जेराड्र्स, राजनीतिक मामलों के द्वितीय सचिव जोस्ट वान ओस्टरब्रुगेन, सांस्कृतिक अधिकारी श्वेता कौशिक ने शिष्टाचार मुलाकात की।

तीये की बैठक

अत्यंत दुखः के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी स्वतंत्रता सैनानी **श्रीमती शांतिदेवी** धर्मपत्नी स्व. श्री रामदत्त जी का आकस्मिक निधन 26.06.2024 को हो गया है। जिनकी तिये की बैठक 28.06.2024 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान डी-58 ग्रीनपार्क आगरा रोड जयपुर पर रखी गई है।
शोकाकुल- लक्ष्मी देवी (बेटी) पुजा, गौरव, सौरभ, एवं समस्त परिवार- 8619307689

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर 253 नाहरी का नाका पूर्व (सुभाष कॉलोनी) शास्त्री नगर जयपुर का मूल नगर विकास न्यास द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 09.02.1970 कब्जा पत्र दिनांक 13.06.1970 इकरारनामा दिनांक 16.01.2003 व विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2006 एवं अन्य दस्तावेज लेमीनेटेड है उक्त आम सूचना इस प्लाट पर भारतीय स्टेट बैंक आर.ए.सी.पी.सी. कोटा से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु प्रकाशित की जा रही है। किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में सम्पर्क करें। बाद मियाद गुजरने के कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। सूचित रहे।
ईदरीस खान, एडवोकेट, मो. 93149-63935

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर
महात्मा ज्योतिबा फूले मुख्य मण्डी प्रांगण
ई-मेल kums.jaipurfv@rajasthan.gov.in
क्रमांकः- 709 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक 26.06.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर टर्मिनल मार्केट मुहाना में फर्म मैसर्स राकेश पठानी पुत्र रमेशचन्द को आवंटित भूखण्ड संख्या डी-183 के मालिक श्री रवि पठानी पुत्र श्री रमेशचन्द का दिनांक 21.02.2024 को स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिस श्रीमती सिया पठानी पत्नी स्व. श्री रवि पठानी द्वारा आवंटित भूखण्ड में उत्तराधिकरी के रूप में नाम जोडने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
अत: स्व. श्री रवि पठानी पुत्र श्री रमेशचन्द मालिक मैसर्स राकेश पठानी पुत्र रमेशचन्द आवंटित भूखण्ड संख्या डी-183 मुख्य मण्डी यार्ड टर्मिनल मार्केट मुहाना के स्वर्गवास उपरान्त श्रीमती सिया पठानी पत्नी स्व. श्री रवि पठानी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आवेदन कर्ता का नाम भूखण्ड संख्या डी- 183 टर्मिनल मार्केट एवं उससे सम्बन्धित रिकार्ड में मालिक के रूप में दर्ज करने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय मे 7 दिवस में प्रस्तुत करे। अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
सचिव
कृ.उ.म.स. (फ.स.) जयपुर

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर
महात्मा ज्योतिबा फूले मुख्य मण्डी प्रांगण
ई-मेल : kums.jaipurfv@rajasthan.gov.in
क्रमांक : 698 दिनांक : 26.06.2024
सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जयपुर टर्मिनल मार्केट मुहाना में फर्म मैसर्स छिगनलाल खण्डेलवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या सी-145 के साझेदार श्री हनुमान सहाय कुलवाल पुत्र श्री छिगनलाल का दिनांक 22.09.2009 को स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिस श्री अरूण कुमार उर्फ अन्नु कुलवाल पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय कुलवाल द्वारा आवंटित भूखण्ड में उत्तराधिकारी के रूप में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः स्व. श्री हनुमान सहाय कुलवाल पुत्र श्री छिगनलाल साझेदार मैसर्स छिगनलाल खण्डेलवाल आवंटित भूखण्ड संख्या सी-145 मुख्य मण्डी यार्ड टर्मिनल मार्केट मुहाना के स्वर्गवास उपरान्त श्री अरूण कुमार उर्फ अन्नु कुलवाल पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय कुलवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आवेदन कर्ता का नाम भूखण्ड संख्या सी-145 टर्मिनल मार्केट एवं उससे सम्बन्धित रिकार्ड में साझेदार के रूप में दर्ज करने पर किसी को कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय मे 7 दिवस में प्रस्तुत करे। अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा।
सचिव
कृ.उ.म.स.(फ.स.) जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपने पुत्री का नाम Aavya Barak से बदलकर Aavya Ashish Barak पुत्री आशीष कुमार रख लिया है भविष्य में मेरी पुत्री को इसी नाम से जाना जावें। निवासी-फ्लैट नं. 202 टावर 8, ओमाक्से एक्स होम जयपुर ओम्मक्स सिटी, जयपुर।

I, Wasim Akram Khan S/o Abdul Rahman, R/o 113, Pathano Ka Mohalla, Ward No. 25 Chomu, Jaipur (Raj.). I have changed my name from Wasim Akaram to Wasim Akram Khan. In future I will be known as Wasim Akram Khan.

I have changed my name from Chanchal Malik to Chanchal Khurana for all future purposes w/o Ashish Khurana R/o J-74, Ashok Chowk, Adarsh Nagar, Jaipur.

I have changed my name from Gurdeep Pal Singh to Gurdeep Singh for all purposes R/o Hotel Imperial Arvind Marg M.I. Road, Jaipur

उद्‌घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 38/2024
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम अनुराधा पत्नि अभिनव कुमार जाति ब्राह्मण विवाद स्थान 124/292 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर
मृतक पति स्व. अभिनव कुमार शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 04.07.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम अभिनव कमार पुत्र रमेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सामेत हॉस्पीटल मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04 माह 07 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर 10.30 ए.एम.अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 05 माह 04 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर
मोहर

उत्तर पश्चिम रेलवे
शुद्धि पत्र संख्या-1
कार्य का नाम:- बीकानेर मंडल के 11 मिड-सेक्शन इंटरलॉक्ड समपार गेटों पर आरटीयू का प्रावधान और आरडीएसओ विनिर्देश के अनुसार डीएलएमसी सिस्टम के बड़े प्रारूप डिस्प्ले का प्रावधान और बीकानेर डिवीजन में डेटालॉगर सिस्टम के 64 केबीपीएस से ई-1 (2 एमबीपीएस) चैनल पर डेटालॉगर नेटवर्किंग को स्थानांतरित करना। शुद्धि पत्र द्वारा **निविदा संख्या एस.एण्ड.टी/बी.के.एन/ईटी 294** में निम्नलिखित संशोधन किए जाते है। **संशोधन का विवरण: निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय निविदा सूचना के अनुसार: 28.06.2024 शुद्धि पत्र के अनुसार संशोधन: 08.07.2024**
नोट:- अन्य शर्तें यथावत रहेगी।
मण्डल रेल प्रबन्धक (एसएंडटी), उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर
732-AJ/24

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 38/207, मानसरोवर का नाम हस्तान्तरण एवं अदेय प्रमाण पत्र किरण पथ चौराहे से खो गया है मिलने पर सूचित करें- जया अग्रवाल मो.8005752586

मास्टर्स क्रिएशन, ग्राम-महापुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर प्लाट नं. 130, आवंटन पत्र,स्लेट प्लान, रसीद खो गई है। सूचित करें-जटा समेर मीणा मो.नं. 7990195688

भूखण्ड संख्या-70 योजना राजारामपुरा का जविप्रा द्वारा जारी आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। जशोदा गोदारा- 9413340929

मेरे भूखण्ड संख्या बी-46, योजना आचार्य विनोबा भावे नगर जवाहर पूरी भवन ग्र.नि.सह. समिति लि. जयपुर का मूल साईट प्लान कहीं गुम हो गए है मिलने पर सूचित करें। दीपक कुमार पारीक-9829115264

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2023-24/28 दिनांक : 24.06.2024
ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 8/2024-25
SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF STATIC COMPACTOR MACHINES, HOOK LOADERS AND CONTAINERS WITH OPERATION & MAINTENANCE AND TRANSPORTATION OF WASTE हेतु पंजीकृत फर्म्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट के UBN No. JMC2425GLOB00136 पर देखी जा सकती है।
राज.संवाद/सी/24/1293 उपायुक्त (गैराज)

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर)
क्रमांक :- जसअ/2023-24/31 दिनांक : 26.06.2024
ई-निविदा सूचना संख्या 02/2024-25
नगर निगम ग्रेटर जयपुर की विभिन्न समारोह, कार्यक्रमों, मीटिंग इत्यादि की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कार्यों की निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम ग्रेटर जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगी। SPPP portal UBN No. JMC2425A0149 पर देखी जा सकती है।
राज.संवाद/सी/24/1288 जनसम्पर्क अधिकारी

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
क्रमांक :- जसअ/2023-24/30 दिनांक : 25.06.2024
ई-बोली सूचना सं. 01/2024-2025
नगर निगम ग्रेटर जयपुर में फोटो स्टेट पेपर रिम ए-4 तथा एफ.एस. (लीगल) साईज की क्रय/सप्लाई का कार्य हेतु पंजीकृत / रजिस्टर्ड फर्म / संस्था / कम्पनी / एजेन्सी / अनुभवी संवेदक से दिनांक 08 जुलाई, 2024 को दोपहर 01.00 बजे तक ई-बोली आमंत्रित की जाती है। फोटो स्टेट पेपर रिम ए-4 तथा एफ.एस. (लीगल) साईज की अनुमानित लागत, बोली अमानता राशि, बोली प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. शुल्क एवं अन्य सम्बन्धित सूचना/निविदाशर्तो आदि का सम्पूर्ण विवरण www.sppp.raj.nic.in, www.jaipurmc.org. & www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। UBN No. :-JMC2425GLOB00147
राज.संवाद/सी/24/1292 उपायुक्त (स्टोर)

नामोद्दिष्ट अधिकारी, खान मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा सं.: 322- ए विंग, तीसरा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाषः 011-23384334
''महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों को खनिज रियायत प्रदान करने के लिए चौथी श्रृंखला बोली आमंत्रण''
अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिजों के संदर्भ में खनिज रियायतें देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (घ) के तहत प्रदत्त नीलामी शक्ति का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अनुसार, भारत सरकार ने नामोद्दिष्ट अधिकारी, खान मंत्रालय को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 21 ब्लॉकों की ई-नीलामी की चौथी श्रृंखला शुरू करने का निर्देश दिया है। दिनांक 24 जून 2024, सोमवार की निविदा आमंत्रित करने का नोटिस (एनआईटी), एमएसटीसी ई-नीलामी पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है। निविदा दस्तावेज की ब्रिकी का कार्य शुक्रवार, 28 जून, 2024 को प्रारम्भ होगी। निविदा दस्तावेज और अन्य विवरण (https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/mlcln/index.jsp) पर देखा जा सकता है।
CBC 26101/11/0002/2425

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2023-24/23 दिनांक : 24.06.2024
ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मानसरोवर) -04 से 06/2024-25
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http;//sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2425WSOB00079 to JMC2425WSOB00081 है। उक्त निविदा को http;//sppp.raj.nic.in पर दिनांक 14.06.2024 को अपलोड करवा दिया जायेगा।
अधिशाषी अभियन्ता
मानसरोवर जोन
राज.संवाद/सी/24/1296

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर-302015, राजस्थान)
क्रमांक :- जसअ/2023-24/33 दिनांक : 26.06.2024
बोली सूचना संख्या 01/2024-25 (मुख्यालय)
केन्द्र एंव राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत ठेकेदार, मैन्युफेक्चरिंग अथवा अधिकृत सप्लायर एंव नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पंजीकृत बोलीदाताओ से स्वास्थ्य स्टोर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय द्वारा सफाई कार्य हेतु सफाई सामग्री डस्टबिन एंव सफाई कर्मचारियो के लिये रिफलेक्टर जैकेट आपुर्ति करने के लिये बोलीयां आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http;//sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती। UBN No. JMC2425GLOB00148 है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य स्टोर)
राज.संवाद/सी/24/1287

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
क्रमांक-7019-34 दिनांक-27.06.2024
निलामी सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पुलिस सवाई माधोपुर में स्टेशनरी स्टोर सवाई माधोपुर में उपलब्ध गैर मियादी/मियादी सरकारी सामान जिसकी लागत 2,14,322/- (अक्षरे दो लाख चौदह हजार तीन सौ बाईस रूपये मात्र) उक्त निलामी की खुली बोली दिनांक 11.07.2024 को प्रात 12 बजे पुलिस लाईन, सवाई माधोपुर में गठित कमेठी द्वारा सार्वजनिक निलामी की जावेगी। अतः ईच्छुक खरीददार/बोलीदाता का जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
पुलिस अधीक्षक
जिला सवाई माधोपुर

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा कार्यालय: श्री राम की नागल, मुख्य गांव, श्री राम की नागल पंचायत भवन के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर 302022
मोबाईल नं.: 8905990421, ई-मेल: vjshri@bankofbaroda.co.in
''परिशिष्ट - IV - क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **प्रलक्षित कब्जा** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर **श्री रमेश चंद पुत्र श्री जिन्सी यादव (ऋणी) एवं श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री रमेश चंद यादव (जमानतदार)** और **बैंक ऑफ बड़ौदा** से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि **रूपये 22,14,106.56 दिनांक 23.01.2023 को बकाया (दिनांक 23.01.2023 तक ब्याज शामिल करते हुए)** की वसूली हेतु **दिनांक 02.08.2024** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य **रूपये 36,10,000/- होगा** और अग्रिम धनराशि रूपये 3,61,000/- होगी।
ज्ञात ऋण भार, यदि कोई हो, सहित
अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा
श्री रमेश चंद पुत्र श्री जिन्सी यादव के नाम साम्यिक बंधक प्लॉट नं. 109, खुशी संसार-VII (नेमीनाथ नगर), गांव इंदिरापुरी, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान-302022 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 116.93 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. 110, पश्चिम: प्लॉट नं. 108, उत्तर: रोड 40'0''चौड़ी, दक्षिण: अन्य भूमि
अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं https://ibapi.in देखें।
दिनांक: 26.06.2024 हस्ता.
स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
मालवीय नगर शाखा, जयपुर, राजस्थान
फोन नं.: 0141-2525230/2521630
ई-मेल: maljai@bankofbaroda.com
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)
जबकि
निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, **ऋणी मैसर्स अभिषेक एक्सपोर्ट प्रोपराईटर श्री हितेश पटेल पुत्र श्री प्रवीण कुमार पटेल एवं जमानतदार श्रीमती उषा पटेल पत्नी श्री हितेश पटेल** पर मांग सूचना **दिनांक** 15.02.2024 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 15.02.2024 को बकाया राशि रू. 52,75,762.58 (रूपये बावन लाख पचहतर हजार सात सौ बासठ एवं पैसे अठावन मात्र) (दिनांक 10.02.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।
ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 27, माह जून, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।
ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 15.02.2024** को बकाया राशि **रू. 52,75,762.58 (रूपये बावन लाख पचहतर हजार सात सौ बासठ एवं पैसे अठावन मात्र) (दिनांक 10.02.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, मालवीय नगर शाखा, जयपुर, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।
अचल सम्पत्तियों का वर्णन
सम्पत्ति 1- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती उषा पटेल पत्नी श्री हितेश पटेल के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक दुकान जो दुकान नं. एस-08, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, गोल्ड सूक, प्लॉट नं. 02, जगतपुरा, पेट्रोल पम्प के पास, जवाहर सर्कल, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 137 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: गलियारा, दक्षिण: दुकान नं. एस-15, पूर्व: दुकान नं. एस-7, पश्चिम: गलियारा
सम्पत्ति 2- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती उषा पटेल पत्नी श्री हितेश पटेल के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक दुकान जो दुकान नं. एस-17, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, गोल्ड सूक, प्लॉट नं. 02, जगतपुरा, पेट्रोल पम्प के पास, जवाहर सर्कल, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 133 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: दुकान नं. एस-16, दक्षिण: दुकान नं. एस-18, पूर्व: अन्य दुकान, पश्चिम: गलियारा
दिनांक: 27.06.2024 हस्ता.
स्थान: जयपुर प्राधिकृत अधिकारी